

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/शिवस०/सम्बद्धता/

30

/2014-15

दिनांक 15-7-2014

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के संख्या सं०/शिवस०/सम्बद्धता/ 2014-15 दिनांक 11.07.2014 के साथ संलग्न शासनादेश सं० 1076/15-11-2014 शासक अनुमान-11 संख्या सं० दिनांक 09.07.2014 द्वारा निजी संस्थान, मेवाड़ इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, से०-4 सी, वसुन्धरा, गाजियाबाद के माध्यम द्वारा संचालित विद्यार्थीसहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु ली गयी मस्यदा विषयक निम्न आदेश में अंकित शर्तों तथा विमर्शित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अर्थात् शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

1. संस्थान द्वारा जमातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थानित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बनाए गए एन०सी०टी०ई०
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जायगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले परीक्षा नियम लागू होंगे।
3. मेवाड़ इंस्टीट्यूट काठक के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित तथ्यांशों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्राइवेट संस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क शर्तों की भी ध्यान रखा जायेगा। समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता प्राप्त होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से संस्था के अगिलख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी लखनऊ एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के माध्यम से साइबरलैक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं के साथ-साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
7. संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12 जून 2014 के कार्यालय में की गयी सलाह का आधार पर एन०सी०टी०ई० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

सम्बद्धता सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत होगा।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०स० / शिवस० / सम्बद्धता /

1770-77

/2014-15 तददिनांक

प्रतिलिपि को सूचना एवं आदेशक का कार्य ही अनु प्रेषित -

1. सचिव, वरिष्ठ शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ
2. निदेशक, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग -1, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वरिष्ठ, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जयनगर, इलाहाबाद (एन०सी०टी०ई०)।
6. संचालक शिक्षा निदेशक, मेवाड़।
7. प्राचार्य, मेवाड़ शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़।
8. प्रबन्धक/सचिव मेवाड़ इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, से०-4 सी, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
9. मास्टर फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद